



# खबर मन्त्र

सबकी बात सबके साथ



## आपकी योजना आपकी सहकार आपके द्वार

18  
दिनकुल आवेदन प्राप्त  
37,37,116\*कुल निष्पादन  
23,85,004\*कुल प्रक्रियाधीन  
13,52,112\*

PRNO 281706 (IPRD) 22-23

लोग : <https://sarkaraapkedwar.jharkhand.gov.in/>

# सीएम को सुप्रीम राहत

**खनन लीज केस :** शीर्ष कोर्ट ने कहा याचिका सुनवाई योग्य नहीं

सीएम को इसी का जवाब दूसरी राय नहीं मानी गयी नयी दिल्ली। बुनाव आयोग (इसी) ने सोमवार को झारखण्ड के सीएम हेमंत सोरेन को सूचित किया कि राज्यपाल सेवे बैस ने उमेर अयोग ठहराने के मामले में दूसरी राय नहीं मानी है। सुत्रों ने बताया कि आयोग ने सोरेन को एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि उसे राज्यपाल की ओर से ऐसा कोई सेवे बैस नहीं मिला है। रविवार को राती में सोरेन ने कहा था कि उहोंने कहा है कि वह खनन पट्टा मामले में राज्यपाल द्वारा दूसरी राय मांगे जाने के अनुरोध की एक प्रति उहोंने प्रदान करे।

### यतीन्द्र कुमार दास को ईडी का सनन

रांची अवैध खनन मामले में मनी लाइंग के बात में कोर्ट ने इडी ने गलत इराकोट के कोर्ट से टू आपरेट (सीटीओ) मामले में राज्य प्रदूषण क्रेटेल बोर्ड के सरदर सचिव योदीत कुमार दास को पूछताछ के लिए समन किया है। उनपर अपने ही आदेश को रद करने का आरोप है। उहोंने पहले 69 टोन क्रशर का सीटीओ रद कर दिया पर कुछ दिनों के बाद ही 23 का सीटीओ बहाल कर दिया था। इसी मामले में उसे पूछताछ करेगी।

### करोड़ों के विदेशी सापं के साथ महिला धरायी

जमशेदपुर। अपरीएफ की टीम ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन से भारी सख्ती में सापं और अन्य वन्य जीव के साथ एक महिला को गिरफतार किया है। महिला के पास से विदेशी सापं और अन्य जीव बरामद किया गया है। इसकी कीमत करोड़ों में बाजार जा रही है। दिल्ली जाने वाली नीलावल की जनरल बोर्डी से उसे दबोचा गया। उसने बैग में काफी सख्ती में विदेशी सापं और डिबे में होरे रंग की मिशेट, जरीरी मकड़ी और काला कीड़ा मिला। गया। वह नागार्लैंड से गुवाहाटी हावड़ा होकर दिल्ली जा रही थी।

### लातेहार : पड़ोसी ने बच्ची से किया दुष्कर्म

लातेहार। मनिका थाना क्षेत्र के

#### खबर मन्त्र व्याप्र

नवी दिल्ली, रांची। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देने हुए खनन पट्टा लीज और शेल कंपनी मामले को लेकर झारखण्ड हाईकोर्ट में दर्ज पीआइएल को सुनवाई योग्य नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश दिवेश माहश्वरी और जस्टिस सुधार्ण धुलिया की बेच ने फैसला सुनाया। दोनों ने माना कि सीएम के खिलाफ इडी जांच के लिए झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए, अपील की अनुमति दी और झारखण्ड उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पर खराते हुए एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें उन्होंने याचिका को सुनवाई योग्य माना था।

#### हाईकोर्ट का आदेश निरस्त

याचिकाकार्ता शिवशंकर शर्मा द्वारा दाखिल पीआइएल को झारखण्ड हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीएम हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सीएम का पक्ष खर रह एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि शिवशंकर शर्मा का पीआइएल राजीव रंजन से प्रेरित है। इसके कोई कानूनी आधार नहीं है। इससे पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशुल लिलता, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधार्ण धुलिया की पीठ मामले पर सुनवाई हुई थी। सरकार

### मुख्यमंत्री ने लिखा सत्यमेव जयते

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई वाली राहत भरी खबर को रिट्वीट करते हुए सुखमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक ट्रिवर हैंडल पर लिखा - **सत्यमेव जयते।** वहीं, सुखमंत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे झारखण्ड हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कोई के फैसले की विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि याचिकाकार्ता शिवशंकर शर्मा की याचिका मोटिवेट है। उसका कोई भी कानूनी आधार नहीं है। कोई सबूत या साक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें उन्होंने याचिका को सुनवाई योग्य माना था।

की तरफ से पक्ष खर रहते हुए वरिष्ठ अधिकारी का शंकर शर्मा की तरफ से दो जनहित याचिका कपिल सिंहल ने याचिका पर सवाल उठाते दायर की गयी हैं, जो भवादेहन के लिए किया हुए कहा था कि झारखण्ड हाईकोर्ट में शिव



शर्मा की तरफ से दो जनहित याचिका कपिल सिंहल ने याचिका पर सवाल उठाते दायर की गयी हैं, जो भवादेहन के लिए किया गया है। (शेष पेज 11 पर)

### सर्व गरीबों को 10% आरक्षण जारी रहेगा



#### एजेंसी

#### सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेच का 3-2 के बहुमत से फैसला

नवी दिल्ली। आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुहर लगा दी। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अधिकारी में मिलेगा। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्वांस (इडब्ल्यूएस) रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना। यानी अब यह आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेच ने 3-2 के बहुमत फैसला सुनाया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम विवेदी और जस्टिस जेबी पारवीवाला ने इडब्ल्यूएस आरक्षण को नीति की दोबारा पड़ाताल करने की जरूरत है। (शेष पेज 11 पर)

### भाड़े पर लोग जुटा कर हंगामा करा रहे हैं

#### विषय पर बरसे सीएम



धरना दल लोगों आपस में लड़ा कर झारखण्ड को अस्थिर कराना चाहता है। अपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा समारोह के दौरान पूरी तरह चार्ज दिये। उन्होंने विषय को खुलकर आइना दिया। सीएम ने कहा कि अब विषय के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। भाड़े पर लोगों को जुटा कर

**श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व**  
**और**  
**कार्तिक पूर्णिमा**  
**के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार**

**रमेश बैस**  
**राज्यपाल, झारखण्ड**

**हेमंत सोरेन**  
**मुख्यमंत्री, झारखण्ड**

We prepare your child for the challenges of a rapidly changing world.

**ADMISSIONS OPEN FOR CLASS NURSERY TO CLASS VIII**  
**For the session 2023 - 24**

Registration forms are available from the School Office on all working days during the office hours from 08/11/2022 onwards.

S. Paramdeep Singh Kalra President S. Harpal Singh Arora Chairman S. Mammohan Singh Lamba Dy. Chairman cum Manager

गढ़वा आप्यपूर्ण  
सोना (सिक्का) : 48,000 रु./10 ग्राम  
चांदी : 63,000 रु./प्रति किलो

PRNO 281704 (IPRD) 22-23





















